Result Mitra Daily Magazine

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीरी प्रोफेसर डॉ शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 की एक F.I.R. के संबंध में UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

आरोप- भड़काऊ भाषण

क्या है मामला?

- कश्मीर पर दिए गए भाषण से जुड़ा दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आबादी-द ओनली वे नामक कान्फ्रेंस के बैनर तले कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार

- बयान- कश्मीर कभी की भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर रखा है।

प्रमुख बिंदु-

- पिछले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी मामले में रॉय और हुसैन पर IPC की धारा 153A, 153B और 505 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

धारा- 153A-

- धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता बढ़ाना और सद्भाव के खिलाफ काम करने से संबंधित

153B- राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित

धारा 505- जानबूझकर शांति भंग करने का इरादा

- इस प्रावधानों में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान
- 2010 में दर्ज़ की गयी F.I.R. में I.P.C. की धारा 124-A भी शामिल थी जो देशद्रोह के लिए है।
- UAPA की धारा-13 किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत करने, उसे बढ़ावा देने या भड़काने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा से संबंधित

सजा- 7 साल तक की कैद का प्रावधान

UAPA- Unlawful Activities Prevention Act गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम

लागू- 1967

- यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National-Investigation Agency NIA) को देशभर में UAPA के तहत दर्ज मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।
- आंतकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान
- संदिग्धों को बिना किसी ट्रायल के 180 दिनों तक रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है।

UAPA के तहत आतंकवादी कौन है?

- धारा-15 के अनुसार- भारत की एकता और अखण्डता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की आशंका के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की आशंका के इरादे से की गई गतिविधि आंतकवादी हरकत है।

गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) संशोधन अधिनियम 2019-

- उक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार किती संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है। यदि वह-
- आंतकवादी गतिविधि में शामिल है,
- आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,
- आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

उदाहरण स्वरूप- जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स (जेके जीएफ खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) को UAPA के तहत आंतकवादी संगठन घोषित किया गया है।

UAPA से जुड़ी चुनौतियाँ-

1. मौलिक अधिकारों में कटौती- किसी व्यक्ति को बिना-न्यायिक जाँच के आतंकवादी घोषित

2. समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14), विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है।

- सजल अवस्थी बनाम भारत संघ मामले में कहा गया- यह समानता के अधिकार का , है करता उल्लंघन नहीं। आधार विस्तृत कोई का करने वर्गीकृत आंतकवादी को किसी क्योंकि

अस्पष्ट परिभाषाएँ-

- UAPA में आंतकवादी कृत्य की परिभाषा एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा जैसे शब्दों के उपयोग के साथ अस्पष्ट है।

दुरुपयोग-

- UAPA को चरम और असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया, लेकिन इसका प्रयोग असहमति को दबाने के लिए नियमित रूप से होता रहा है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2019 के आकड़ों के अनुसार UAPA के तहत 1226 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2016 की तुलना में 33% वृद्धि को दर्शाता है।

उदाहरण स्वरूप-

- दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2020 के मसौदे के खिलाफ अभियान चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों (कार्यकर्ता ग्रेत धनबर्ग के डोमेन सहित) की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए UAPA का प्रयोग किया।
- निर्दोष साबित होने तक दोषी
- किसी परीक्षण या न्यायिक जाँच के अभाव में भी, कानून किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है।